[2008] 3 एस.सी.आर.51

अरूण कुमार

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

आपराधिक अपील संख्या 347/2008

फरवरी 19, 2008

[डाॅ. अरिजीत पसायत और पी.सदाशिवम, जे.जे.]

विचारणः किशोर विचारण- सत्र न्यायाधीश ने माना कि आरोपी किशोर नहीं था-किशोर न्याय बोर्ड के द्वारा विचारण हेतु उसका आवेदन खारिज किया-उच्च न्यायालय ने आवेदन को अनुमति दी- अपील पर अभिनिर्धारित कियाः उच्च न्यायालय यह ध्यान देने में विफल रहा कि आरोप लगाये जाने के समय, आरोपी की उम्र व्यस्क के रूप में दर्ज की गई थी-आरोपी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों में नाम की भिन्नता को आरोपी की ओर से स्पष्ट नहीं किया गया-उच्च न्यायालय ने यह कारण बताये बिना आवेदन को स्वीकार करने में त्रुटि की कि विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में कमी कैसे थी- मामले को नये सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में भेजा गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि आरोपी/प्रतिपक्षी नं.2 किशोर नहीं था और इसलिए, उसकी उम्र सुनिश्चित करने हेतु तथा विचार के लिए उसके प्रकरण को किशोर न्याय बोर्ड को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उच्च न्यायालय ने माना कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र और आरोपी द्वारा प्रस्तुत अंकतालिका से पता चलता है कि वह किशाेर था और इसलिए उसके आवेदन को अनुमति दी जानी चाहिए और निचली अदालत को किशोर मानने और तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिए।

इस अदालत में अपील में, सूचनाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का विश्लेषण विचारण न्यायालय द्वारा किया गया और स्पष्टतया यह माना गया था कि आरोप तय करते समय अवलोकन पर यह ध्यान दिया गया था कि वह बिना किसी संदेह के बालिग था, प्रस्तुत प्रमाण पत्र में जो नाम प्रकट हुआ वह अलग था, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस बात पर विचार नहीं किया कि विचारण न्यायालय के निष्कर्ष कैसे किसी दुर्बलता से ग्रसित थे और केवल आरोपी के रूख का हवाला देकर और विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये अवलोकन और निष्कर्षो की सत्यता या अन्यथा विश्लेषण किये बिना यह माना कि आरोपी एक किशोर था।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय प्रति प्रेषित करते हुए, माना किः उच्च न्यायालय कई सुसंगत कारकों पर ध्यान

देने में असफल रहा। पहला, आरोप तय करते समय अभियुक्त की उम्र बालिग के रूप में दर्ज की गई थी, इसी तरह दस्तावेजों में नाम की भिन्नता अभियुक्त द्वारा स्पष्ट नहीं की गई, इससे आगे यह विवेचन नहीं किया गया कि विचारण न्यायालय को निष्कर्ष कैसे किसी दुर्बलता से ग्रसित था। अन्ततः मामले का निपटारा करने से पहले अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया।

[पैरा 5-7][53 एफ, जी, 54-ए]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः आपराधिक अपील संख्या 347/2008 की

उच्च न्यायालय पटना के आपराधिक मुतफर्रिक 2852/2007 के अन्तिम आदेश दिनांक 19.01.2007 से

रंजन मुखर्जी और एस.सी.घोष अपीलार्थी के लिए

मनीष कुमार गोपाल सिंह और लक्ष्मीरमण सिंह प्रतिपक्षी के लिए

न्यायालय का फैसला डाॅ. अरिजीत पसायत जे. द्वारा दिया गया,

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में पटना उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित किये गये आदेश को चुनौती दी, जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्टट्रेक न्यायालय पंचम शेखपुरा द्वारा पारित आदेश को रद्द

किया गया, इस आदेश द्वारा विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने माना कि प्रतिपक्षी नं.2 मुन्ना कुमार किशोर नहीं था और इसलिए उसके मामले को प्रतिप्रेषित करने की आवश्यकता नहीं थी। किशोर न्याय बोर्ड को उसकी उम्र सुनिश्चित करने के लिए फिर विचारण के लिए। उच्च न्यायालय द्वारा यह देखा गया कि प्रार्थना केवल इस आधार पर खारिज की गई थी कि दो या तीन गवाह परिक्षीत हुए थे और हालांकि आरोपी के पास विद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र, अंकतालिका आदि थे, यह प्रकट करने के लिए कि वह किशोर था, प्रार्थना पत्र को खारिज नहीं किया जा सकता था। उच्च न्यायालय ने एक बहुत गुप्त तरीके से अवलोकन किया कि अभियुक्त का आवेदन अनुमति के योग्य था और निचली अदालत को अभियुक्त को किशोर मानने और तदनुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

3. सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का विचारण न्यायालय द्वारा विश्लेषण किया गया और स्पष्ट रूप से माना कि आरोप तय करते समय अवलोकन में यह दर्शित हुआ कि वह बिना किसी संदेह के बालिग था। दाखिल किये गये प्रमाण-पत्र में उसका नाम प्रियतम बिहारी प्रकट किया गया था जबकि हर बार उसका नाम मुन्ना कुमार जाहिर किया गया था। विद्वान एकल न्यायाधीश, उच्च न्यायालय ने इस बात पर भी विचार नहीं किया कि कैसे विचारण न्यायालय के निष्कर्ष किसी दुर्बलता से ग्रसित थे, केवल अभियुक्त के रूख

का उल्लेख करते हुए और विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये अवलोकन और निष्कर्षो की सत्यता या अन्यथा का विश्लेषण किये बिना यह मान लिया कि अभियुक्त किशोर था, इसके अतिरिक्त, शिकायतकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष पक्षकार था परन्तु कोई नोटिस जारी नहीं किया। प्रतिपक्षी नं.2 अभियुक्त की ओर से कोई उपस्थित नहीं था।

4. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने सूचनाकर्ता के रूख का समर्थन किया।

5. उच्च न्यायालय कुछ प्रमुख कारकों पर ध्यान देने में असमर्थ रहा। प्रथमतः जब अभियुक्त पर चार्ज लगाये गये थे तब उसकी उम्र बालिग के रूप में दर्ज थी। उसी प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजों में अभियुक्त के अलग-अलग नाम भी अभियुक्त के द्वारा स्पष्ट नहीं किये गये।

6. आगे अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी बताया कि विचारण न्यायालय का निष्कर्ष किसी दुर्बलता से ग्रसित था पर भी कोई विवेचन नहीं किया गया।

7. अन्ततः मामले का निपटारा करने से पहले अपीलान्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

8. उपरोक्त स्थिति में उच्च न्यायालय के आलौच्य आदेश को निरस्त किया जाता है और नये सिरे से मामले को विचार करने और विधि अनुसार तर्कसंगत आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

9. अपील स्वीकार की जाती है।

डी.जी.

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेन्द्र सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।